

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सदस्य विधान परिषद द्वारा तृतीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 उत्तर:-

प्रश्न

3 (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की कोई सेवा शर्तें सेवा सुरक्षा, समयबद्ध वेतनमान एवं सेवानिवृत्त के उपरान्त कौन सी सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

(ख) क्या अक्टूबर, 1986 से संचालित उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद सेवा निवृत्ति के समय किस तरह की धन राशि प्रदान की जाती है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

शासनादेश संख्या-ई0एम0-1443/15-7-2001- 1(19)/2000 दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार प्रबन्धतन्त्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि, भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा जिसमें नियोजक का अंशदान प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गुलाब देवी
मंत्री